श्री दीपक आनन्द, भा0प्र0से0, समाहर्त्ता, सारण की अध्यक्षता में दिनांक 11.02.2015 को आयोजित राजस्व एवं बन्दोबस्त की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :– पंजी में संधारित है।

1. **भू–लगान** :– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि भू–लगान की वसुली जलालपुर, लहलादपुर, परसा एव दरियापुर को छोड़कर किसी भी अंचल का 20% तक वसुली नहीं हैं। जिसपर समाहर्त्ता द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए वार्षिक लक्ष्य की पूर्ति हेतु लगान वसूली में गति लाने के साथ ही माह फरवरी तक 25% की वसूली करने का निदेश सभी अंचल अधिकारी को दिया गया।

अनुपालन– सभी अंचल अधिकारी, सारण जिला।

2. **सैरात** :– समाहर्त्ता द्वारा वर्ष 2015–16 हेतु सुरक्षित जामा राशि का निर्धारण हेतु सभी अंचल अधिकारी को शीघ्र अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया। साथ ही वित्तीय वर्ष 2014–15 में अवन्दोबस्त सैरात का विभागीय वसूली 100% करने का भी निदेश दिया गया।

अनुपालन– सभी अंचल अधिकारी, सारण जिला।

3. **अतिक्रमण** :– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि लोक भूमि अतिक्रमण से संबंधित कुल 41 वाद लम्वित पाये गये है, उक्त सभी लम्बित अतिक्रमण वाद को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करने हेतु सभी अंचल अधिकारी को निदेश दिया गया।

अनुपालन– सभी अंचल अधिकारी, सारण जिला।

4. **लैण्ड बैंक** :– समाहर्त्ता द्वारा लैण्ड बैंक हेतु प्रस्तावित भू–अर्जन संबंधी प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी, समीक्षोपरांत पाया गया कि जिला से भेजे गये सभी प्रस्ताव को विभाग द्वारा त्रुटि निराकरण हेतु वापस किया गया हैं, जिसे सभी संबंधित अंचल को भेज दिया गया हैं, जो अभी तक अप्राप्त हैं।

समाहर्त्ता द्वारा लैण्ड बैंक का प्रस्ताव किसी भी अंचल से प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए अविलम्ब प्रस्ताव/अधियाचना नई भू–अर्जन नीति 2014 के अनुसार देने हेतु सभी अंचल अधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को निदेश दिया गया।

अनुपालन– सभी अंचल अधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सारण जिला।

5. **चालू खतियान** :– समीक्षा के क्रम में समाहर्त्ता द्वारा बताया गया कि चालू खतियान बनाने में और गति लाया जाय। साथ ही पूर्ण किये गये चालू खतियान को कम्प्यूटरीकरण के पश्चात अविलम्ब प्रकाशन करवाया जाय। साथ ही तैयार किये जा रहे चालू खतियान को नियमित समीक्षा करने हेतु भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को निदेश दिया गया। कम्प्यूटरीकरण हेतु दिये गये निदेश के आलोक में अंचल अधिकारी, नगरा एवं जलालपुर द्वारा ऑपरेटर नहीं होने की बात कही गयी, जिस पर समाहर्त्ता द्वारा बेल्ट्रान से ऑपरेटर की व्यवस्था करने की कार्रवाई का निदेश दिया गया।

अनुपालन– सभी अंचल अधिकारी/ सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता सारण जिला।

6. **बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 :–** समीक्षा के क्रम में पाया गया कि इस वित्तीय वर्ष 2014–15 में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के न्यायालय में कुल 523 दायर वाद के विरूद्ध 417 वाद निष्पादित किये गये है, जिसके अनुसार निष्पादन का 79.73 प्रतिशत है। उप समहार्त्ता भूमि सुधार, सोनपुर द्वारा 20 लंवित मामले एवं सदर अंचल द्वारा 5 मामले लंवित के संवंध में पृच्छा की गई, पृच्छा के कम में उप समहार्त्ता भूमि सुधार, सोनपुर एवं सदर छपरा द्वारा वताया गया कि संवंधित आवेदन पत्र समय सीमा के अंदर का मामला है, जिसपर समाहर्त्ता द्वारा ससमय निष्पादन का निदेश दिया गया।

अनुपालन– सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सारण।

7. **R.T.P.S (बिहार लोक सेवाओं का अधिकार) –** समीक्षा के क्रम में सभी अंचल अधिकारी को R.T.P.S काउन्टर को सही ढंग से करने का निदेश समाहर्त्ता द्वारा दिया गया ताकि सभी प्रकार के मामले को पारदर्शिता वरती जा सकें।

अनुपालन– स्थापना उप समाहर्त्ता, सारण।

8. **दाखिल खारिज :–** समीक्षा के क्रम में पाया गया की कुल 31977 प्राप्त वाद के विरूद्ध मात्र 30940 वादो का निष्पादन हो चुका है, लंबित मामले 1037 है, जिसमें सबसे अधिक 137 मामले परसा एवं 116 लहलादपुर अंचल में पाया गया, जिस पर समाहर्त्ता द्वारा अधिक लंवित रहने के कारण पृच्छा की गई, पृच्छा के क्रम में अंचल अधिकारी द्वारा बताया गया कि उक्त सभी मामले समय सीमा के अंदर का है। समाहर्त्ता द्वारा लंबित मामले को ससमय निष्पादन करने हेतु सभी अंचल को निदेश दिया गया। समीक्षा के क्रम में अंचल अधिकारी द्वारा लगान रसीद की कमी की बात कही गयी, जिसपर सामान्य शाखा के प्रभारी द्वारा पृच्छा की गयी, जिस पर प्रभारी पदाधिकारी सामान्य शाखा, छपरा द्वारा बताया गया कि गुलजार बाग प्रेस से रसीद वही मांगवाने की कार्रवाई की जा रही है, प्राप्त होते ही उपलब्ध करा दिया जायेगा। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि सभी अंचल अधिकारी अपने अंचल अन्तर्गत स्थित ग्रमों की सं0, थाना न0 एवं रैयत की सं0 की सूची उपलब्ध करावे ताकि उसके अनुसार रसीद बही की मांग की जा सकें। जिसपर पर समाहर्त्ता द्वारा दो दिनों के अंदर एक प्रति सामान्य शाखा एवं एक प्रति राजस्व शाखा में उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया।

अनुपालन– सभी अंचल अधिकारी, सारण जिला।

9. **जनशिकायत :–** समीक्षा के क्रम में समाहर्त्ता द्वारा सभी अंचल अधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को निदेश दिया गया की प्राथमिक्ता के आधार पर मुख्यमंत्री के जनता दरबार आयुक्त महोदय के जनता दरबार एवं समाहर्त्ता के जनता दरबार की प्रथम प्राथमिकता के आधार पर ससमय निष्पादन किया जाय।

अनुपालन– सभी अंचल अधिकारी, सारण जिला।
सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सारण।

10. **भू–हस्तांतरण :–** भूमि हस्तांतरण हेतु विभिन्न योजना हेतु प्राप्त हो रहे प्रस्तावों के संबंध में समाहर्त्ता द्वारा निदेश दिया गया कि वैसे भूमि को हस्तांतरित करना है जो कि विभाग द्वारा चिन्हित किया गया हो और साथ ही राज्य स्तरीय संबंधित विभाग का अधियाचना प्राप्त हो, इस संबंध में राजस्व विभाग का निदेश प्राप्त है। जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि राज्य स्तरीय विभागीय अधियाचना प्राप्त होने के उपरांत ही संबंधित विभाग को भूमि हस्तान्तरण की कार्रवाई की जाय। समाहर्त्ता द्वारा सभी अंचल अधिकारी को अपने

अंचल में उपलब्ध सरकारी भूमि चिन्हित करने का निदेश दिया गया ताकि विभाग से अधियाचना प्राप्त होते ही उक्त विभाग को भूमि हस्तातरण की कार्रवाई ससमय किया जा सकें। साथ ही विभागीय पत्र की प्रति सभी विभागों को उपलब्ध कराने का निदेश राजस्व शाखा को निदेश दिया गया।

अनुपालन– सभी अंचल अधिकारी, सारण जिला।
जिला राजस्व शाखा, छपरा।

11. **ई–किसान भवन :–** समीक्षा के क्रम में ई–किसान भवन की निर्माण हेतु जलालपुर, मकेर एव रिविलगंज में 50x60 फीट प्रखण्ड परिसर में भूमि चिन्हित कराने का निदेश समाहर्त्ता द्वारा दिया गया।

अनुपालन– अंचल अधिकारी, जलालपुर, मकेर एवं रिविलगंज।

12. **महादलित :–** समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिला में कुल 616 वासहीन महादलित परिवारों को वास हेतु भूमि उपलब्ध कराई गयी हैं। समाहर्त्ता द्वारा उपलब्ध कराई गयी सभी परिवारों को भूमि पर दखल कब्जा दिलाने हेतु सभी अंचल अधिकारी को निदेश दिया गया।

अनुपालन– सभी अंचल अधिकारी, सारण जिला।

13. **अभियान बसेरा :–** समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अभियान बसेरा के तहत अंचलवार निम्नांकित श्रेणी के परिवार वास हिन पाये गये हैं। जिसको वास हेतु भूमि उपलब्ध कराने हेतु भूमि चिन्हित की गई हैं।

क्र0	अंचल का नाम	श्रेणीवार सर्वेक्षण						उपलब्ध कराये जाने वाले भूमि का श्रोत				अनि0
		महादलित	SC	ST	BC-I	BC-II	कुल सर्वेक्षित वासहीन परिवारों की सं0	गै0 मा0	गै0 आम	BPPHT	क्रय	
1	2	5	6	7	8	9	10	19	20	21	22	23
1	सदर,छपरा	84					84	14	0	70	0	
2	रिविलगंज	19			7		26	0	0	26	0	
3	मॉझी	16					16	0	0	0	0	
4	एकमा	8					8	8	0	0	0	
5	जलालपुर	55					55	0	0	0	0	
6	नगरा		3				3	0	0	3	0	
7	बनियापुर	2	6		7	4	19	13	0	6	0	
8	लहलादपुर	8		6	2		16	9	3	0	0	
9	गड़खा		11			7	18	15	3	0	0	
10	परसा	5	3		10		18	9	9	0	0	
11	मकेर	8	1		1	1	11	3	0	8	0	
12	मढ़ौरा	65					65	65	0	0	0	
13	अमनौर	13	2	0	4		19	19	0	0	0	
14	तरैया	30	.		1		31	31	0	0	0	
15	इसुआपुर	7					7	7	0	0	0	
16	मशरक	40					40	7	0	33	0	
17	पानापुर	6	3	0	1		10	0	0	10	0	
18	दिघवारा	0			11	4	15	0	2	13	0	
19	दरियापुर	47			5		52	28	7	17	0	
20	सोनपुर		1			9	10	0	0	10	0	
योग –		413	30	6	49	25	523	228.	24	196	0	

समाहर्त्ता द्वारा सभी वासहीन परिवार को प्रायमिकता के आधर पर भूमि उपलब्ध कराने का निदेश सभी अंचल अधिकारी को दिया गया।

अनुपालन – सभी अंचल अधिकारी, सारण जिला।

14. **ऑपरेशन भूमि दखल दहानी** :– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 14453 के विरुद्ध मात्र 11301 परिवारों से संबंधित प्रपत्र– I में अपलोड किया गया है, शेष लंबित 3152 परिवारों को अविलम्ब प्रपत्र– I में अपलोड कराने हेतु अंचल अधिकारी, मांझी, जलालपुर, बनियापुर, गड़खा, अमनौर, तरैया, इसुआपुर, मशरक, दरियापुर एवं पानापुर को निदेश दिया गया तथा प्रपत्र– I के अनुरूप प्रपत्र– II में अपलोड कराने हेतु अंचल अधिकारी, अमनौर, मढ़ौरा एवं मशरक को निदेश दिया गया। समाहर्त्ता द्वारा ऑपरेशन भूमि दखल दहानी एवं राजस्व शिविर को नियमित लगाने हेतु सभी अंचल को निदेश दिया गया, साथ ही उक्त शिविर को नियमित जांच करने हेतु अंचल के सभी वरीय पदाधिकारी को निदेश दिया गया।

अनुपालन– सभी अंचल अधिकारी, सारण जिला एवं वरीय प्रभारी पदाधिकारी।

इसी के साथ सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह०/–

समाहर्त्ता,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 279 / दिनांक 23/2/15

प्रतिलिपि– प्रभारी पदाधिकारी, गोपनीय शाखा, सारण छपरा एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

समाहर्त्ता,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 279 / दिनांक 23/2/15

प्रतिलिपि– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सारण छपरा को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

समाहर्त्ता,
सारण, छपरा।